न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या:– 35/2019/आवेदन अ0 धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. जीवण राम पुत्र नाथूराम
2. भगवान सहाय पुत्र लादुराम
3. रामदेव पुत्र लादुराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण चक भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. कज्जुराम पुत्र जेताराम
2. कानाराम पुत्र खींवाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण चक भारीजा तहसील दांतारामगढ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री आशिष शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.06.2022

1. आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि खसरा नम्बर 16/77, 22/2, 4, 5 वाके ग्राम चक प0ह0 भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके प्रार्थीगण एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमियों की दक्षिण पूर्वी व उत्तरी पूर्व साईड में अप्रार्थीगण की भूमि अवस्थित है। उत्तर व पूर्व साईड अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमियों की सीमा पर छेडखानी करने व सीमा को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा करने पर प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहां सीमाज्ञान का आवेदन पेश करने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ ने कमांक/भू.अ./17/144 दिनांक 30.01.2017 व कमांक 143 दिनांक 30.01.2017 द्वारा तत्कालीन पटवारी भारीजा को आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

भारीजा के द्वारा मौके पर दिनांक 11.02.2017 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 11.02.2027 की फोटो प्रति सलंग्न आवेदन है। विधिवत सीमाज्ञान होने के बाद आज तक मौके पर पत्थरगढी नहीं होने से पड़ौसी खातेदार प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर प्रार्थीगण के सुचारू कब्जे, काश्त में दखलअंदाजी करने में लगे हुए है जिससे प्रार्थीगण व उक्त अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन खेत की सीमा को लेकर वाद विवाद व लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मुताबिक सीमाज्ञान मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना अतिआवश्यक है। अप्रार्थीगण या किसी अन्य दीगर व्यक्ति का प्रार्थीगण के उक्त हक हिस्से की कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा कृषि भूमियां खसरा नम्बर 16/77, 22/2, 4, 5 वाके ग्राम चक प0ह0 भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित, आवश्यक व न्यायसंगत है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील आशिष शर्मा हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राजपेरोकार ने नोटेड किया। वकील अप्रार्थीगण ने जबाब प्रस्तुत नही कर पत्थरगढी करने हेतु आदेशिका पर सहमति जाहिर की। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. आवेदन पर सुनी गई उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम चक भारीजा पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 16/77, 22/2, 4, 5 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का कांकरा दिनांक 11.02.2017 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 11.02.2017 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थीगण की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14 6 22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ